<u>प्रेस नोट दिनांक 16.01.2025</u>

<u>थाना सीबीगंज बरेली</u>

<u>थाना सीबीगंज #bareillypolice द्वारा थाना सीबीगंज क्षेत्रांतर्गत चौकीदार की हत्या कर चोरी करने वाले एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।</u>

दिनांक 11.01.2025 को श्री गुलाब शाह पुत्र शमशेर खां नि0 खना गौटिया थाना सीबीगंज जिला बरेली की सूचना कि वी.के. इन्डस्ट्रीज फैक्ट्री रोड नं0 02 परसाखेड़ा थाना सीबीगंज के गेट के अन्दर सिक्यूरिटी गार्ड मृत अवस्था में पड़ा है। इस सूचना पर मृतक का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मे मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने पर बिसरा प्रिजर्व किया गया था।

दिनांक 14.01.2025 को सूचना मिली कि जिस रात को चौकीदार की हत्या हुई है, उस रात को समय करीब 23.41 बजे एक व्यक्ति मुंह पर मफलर का ढाटा मारे फैक्ट्री के पीछे से चढ़ा है तथा रात्रि में करीब पौने 02 बजे एक पिट्ठू बैग व कम्बल औढ़कर उतरता दिखाई दे रहा है। इस सूचना की पुष्टि के लिये सीसीटीवी देखे गये तो पाया गया कि दिनांक 29.12.2024 को रात्रि करीब 21.30 बजे उस फैक्ट्री के पीछे की ओर साईकिल से रैकी करके वापस हुआ है, तथा उसी हुलिया व कपड़ो का आदमी घटना के दिन 10/11.01.25 की रात्रि में उक्त फैक्ट्री के पीछे से 23.41 बजे चढ़ा है तथा समय 01.45 बजे करीब उतरा है तथा मुखबिर से यह भी सूचना प्राप्त हुई कि चोर साईकिल से सीसीटीवी में रैकी करते दिखाई दे रही है, वह साईकिल कई बार उक्त फैक्ट्री के पास खड़ी देखी गयी है। इसकी छानबीन की गयी तो यह व्यक्ति उक्त फैक्ट्री में काम कर रहे ठेकेदार राधेश्याम पुत्र रामस्वरूप नि0 पहुँचा बुजुर्ग थाना मीरगंज बरेली का पुत्र आशुतोष उर्फ आशु के रूप में पहचान हुई।

इसी दौरान दिनांक 14.01.2025 को फैक्ट्री मालिक श्री विनीत कुमार सक्सेना पुत्र श्री जयन्ती प्रसाद सक्सेना निवासी 82 A/4 सिविल लाईन अपोजिट बीकानेर थाना कोतवाली जिला बरेली द्वारा तहरीर दी गयी कि घटना के दिन से उसकी फैक्ट्री बन्द थी आज उन्हे सीसीटीवी फुटेज की जानकारी हुई तथा फैक्ट्री का बारीकी से निरीक्षण किया गया तो फैक्ट्री के एक कमरे का ताला टूटा हुआ मिला तथा करीब 55000 रूपये चोरी होना पाया गया है। सीसीटीवी फुटेज में राधेश्याम का लड़का आशुतोष उर्फ आशु पहचाना गया है। आशुतोष उर्फ आशु ने जनवरी 10/11.01.25 की रात्रि में फैक्ट्री के पीछे से चढ़कर चौकीदार केशर प्रसाद की हत्या की है तथा चौकीदार की हत्या करके चोरी की गयी है। इस सूचना पर दिनांक 14.01.2025 को थाना सीबीगंज पर मु0अ0स0 18/25 धारा 331(4)/305/103(1) बीएनएस पंजीकृत हुआ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सीबीगंज के नेतृत्व में थाना सीबीगंज पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान अभियुक्त आशुतोष उर्फ आशु पुत्र राधेश्याम उपरोक्त को चौकी परसाखेड़ा क्षेत्र में रामपुर रोड बंडिया नहर मोड़ के पास से दिनांक 15.01.2025 को समय 16.30 बजे गिरफ्तार किया गया तथा अभि0 से गिरफ्तारी के दौरान चोरी के रूपयों में से 32000 रूपये में रिठौरा की मोटरसाईकिल रिसैल की दुकान से खरीदी गई अपाचे मो0सा0 UP25 BL 6014 रंग सफेद तथा सिक्के व नोट की कुल धनराशि 21,503/- रूपये तथा चोरी किया गया थैला और घटना मे प्रयुक्त हुआ पिट्ठू बैग तथा घटना में प्रयुक्त हुआ कम्बल, अभियुक्त का मोबाइल फोन तथा अभि0 की तीन पासबुक व एक पैन कार्ड, एक वोटर आई कार्ड, प्रवेश पत्र तथा एक आईएफटीएम यूनिवर्सिटी का आई कार्ड तथा आला कत्ल मफलर बरामद हुआ तथा घटना से पूर्व रेकी में

प्रयुक्त साईकिल भी अभियुक्त की निशादेही पर बरामद की गयी है। साथ ही घटना के समय एवं रैकी के समय पहने हुये कपड़े जैकेट, पैन्ट व सफेद जूते जो सीसीटीवी फुटेज मे साफ दिखाई दे रहे हैं, बरामद किये गये हैं।

पूछताछ -

अभियुक्त द्वारा बताया गया है कि वह इन्टरमीडिट पास है तथा इण्टरमीडिएट में उसके 95% मार्क्स आये थे। उसका एक लड़की से प्रेम प्रसंग है जिसका इंगेजमेंट किसी और के साथ हो रहा है। इंगेजमेंट से पहले उस लड़की को ले जाने के लिए वह 10/11.01.25 की रात्रि मे चोरी करने के लिए आया था, रात्रि करीब 11.40 बजे फैक्ट्री के पीछे से चढा था तथा कैश वाले कमरे का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान चौकीदार कमरे में से आया तो वह बाथरूम में छिपने के लिए चला गया, चौकीदार भी लघुशंका के लिए उधर ही चला गया तो चौकीदार ने उसे पहचान लिया और चौकीदार ने उसके दो तीन थप्पड मार दिये और कहा कि तेरे बाप की फैक्ट्री है, तू क्या करने आया है, मैं तेरे बाप को फोन कर रहा हूँ। चौकीदार फोन करने के लिये बाथरूम से कमरे की ओर चला तो उसने बात खुलने व पिता से शिकायत होने के डर से चौकीदार के गले में पीछे से अपने मफलर डालकर उसका गला दबा दिया जिससे वह बेहोश होकर एकदम नीचे गिर पड़ा। चौकीदार जब होश में नही आया तो उसने उसके बाद कमरे का ताला तोड़ कर चोरी की थी तथा कमरे की अलमारी में रखा थैला जिसमे नकदी रखी थी, उस थैले को नकदी सहित अपने लाये पिट्ठू बैग मे रख लिया तथा पिट्ठू बैग में लाये कम्बल को निकालकर कम्बल को ओढ़कर छत से पीछे से उतरकर चला गया था। रैकी के दौरान प्रयुक्त की गयी साईकिल उसने परसाखेड़ा में बिक्री कर दी थी तथा चोरी की गयी धनराशि में से 32,000 रूपये की रिठौरा में रिसैल की दुकान से मो0सा0 खरीदी। आज वह कम्बल, पिट्ठू बैग जिसमें चोरी के शेष रूपये जो बंडिया नहर की झाड़ियों मे झुपा दिये थे, को लेकर मुरादाबाद की ओर जा रहा था, पुलिस ने पकड़ लिया।

<u>अभियुक्त आशुतोष उर्फ आशु उपरोक्त का विवरणः-</u>

1. आशुतोष उर्फ आशु पुत्र राधेश्याम नि0 पहुँचा बुजुर्ग थाना मीरगंज जिला बरेली हाल पता नदौसी थाना सीबीगंज जिला बरेली उम्र करीब 19 ½ वर्ष

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

1. मु0अ0स0 18/25 धारा 331(4)/305/103(1)/317(4) बीएनएस थाना सीबीगंज बरेली

<u>बरामदगी -</u>

1. एक अपाचे मो0सा0 नं0 UP25BL 6014 रंग सफेद
2. एक रेन्जर साईकिल
3. 21,503 रूपये नकद
4. आला कत्ल मफलर
5. एक पिट्ठू बैग
6. एक कम्बल
7. एक सादा थैला
8. अभि0 की बैंक की 03 पासबुक, एक पैन कार्ड, एक वोटर आईडी कार्ड, एक स्कूल का प्रवेश पत्र, आईएफटीएम यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड।

<u>पुलिस टीम</u>-

1. प्रभारी निरीक्षक सुरेश चन्द्र गौतम थाना सीबीगंज बरेली
2. व0उ0नि0 सुदेश पाल थाना सीबीगंज बरेली
3. उ0नि0 सौरव यादव थाना सीबीगंज बरेली
4. उ0नि0 अतरपाल सिंह थाना सीबीगंज बरली
5. हे0का0 953 रूपेन्द्र कुमार थाना सीबीगंज बरेली
6. का0 1147 महीपाल सिंह थाना सीबीगंज बरेली
7. का0 3819 नकुल थाना सीबीगंज